सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 4 के अनुसार सक्रिय प्रकटीकरण

क्र.	विवरण	सूचना
I.	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	मध्य रेल, पुणे मंडल अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी का नामन मध्य रेल, मुख्यालय कार्यालय द्वारा किया जाता है। राजभाषा विभाग का कार्य मंडल रेल प्रबंधक और अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में किया जाता है। पुणे मंडल पर दिनांक 11.11.2023 से राजभाषा अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण सहायक कार्मिक अधिकारी संपर्क अधिकारी (राजभाषा) का अतिरिक्त कार्य कर रहे है।
II.	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	क) **अनुवाद** - तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अनुवाद करना। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिंदी-अंग्रेजी में एक साथ जारी करना। ख) **प्रशिक्षण** - गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, पुणे द्वारा आयोजित हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण प्रशिक्षण में नियमित रूप से नामित करना। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना। हिंदी कुंजीयन की व्यावहारिक जानकारी देकर कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करना। ग) **कार्यान्वयन** - राजभाषा प्रगति रिपोर्ट समय पर मुख्यालय भेजना। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति और स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना। राजभाषा विषयक निरीक्षण करना। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट समय पर भेजना और बैठक में भाग लेना। हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। हिंदी साहित्यकारों की जयंतियां मनाना। हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा पखवाड़े का आयोजन करना और हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करना।
III.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के मार्गदर्शन में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा प्रगति की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हैं।
IV.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं रेलवे बोर्ड, मुख्यालय कार्यालय और मंडल स्तर पर अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
V.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं रेलवे बोर्ड, मुख्यालय कार्यालय और मंडल स्तर पर अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है।

VI.	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण	नीति पत्रों की श्रेणियों का विवरण रेलवे बोर्ड, प्रधान कार्यालय एवं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
VII.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	जनपरामर्श वाणिज्य विभाग द्वारा सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाता है।
VIII.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण	जनपरामर्श वाणिज्य विभाग द्वारा सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाता है।
IX.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	https://cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1711974609350-dir%20portal%2031.03.2024%20(2).pdf पर उपलब्ध हैं।
X.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	कार्मिक विभाग से संबंधित।
XI.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक बजट मुख्यालय मध्य रेल द्वारा आबंटित किया जाता है।

XII.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
XIII.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं है।
XIV.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	भारतीय रेल की वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/ पर उपलब्ध हैं- जैसे निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, रोजगार अधिसूचना, महत्वपूर्ण समाचार आदि।
XV.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	पुणे मंडल के राजभाषा विभाग के अधीन हिंदी पुस्तकालय है जो केवल रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है।
XVI.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	नाम: श्री जे.एस. मीणा पदनाम: संपर्क अधिकारी (राजभाषा) एवं सी.पी.आई.ओ. पता : राजभाषा विभाग, मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय, पुणे मंडल, मध्य रेल, आर.बी.एम.रोड, पुणे-411001 फोन क्रमांक - 55706 (रेलवे), टेलीफोन क्रमांक - 020-26105700 ई-मेल: punerajbhasha01@gmail.com **अपीलीय अधिकारी** श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक, फोन क्रमांक - 55002, टेलीफोन क्रमांक - 020-26105002 ई-मेल: puneadrm@gmail.com
XVII.	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा	अन्य सभी जानकारियां अधिकारिक वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/ पर उपलब्ध है।